



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05122020-223516
CG-MH-E-05122020-223516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/ अग्राहायण 13, 1942

No. 537]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 20 नवम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/25/2020-सीसीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 का 38) की धारा 48 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के तहत चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड(सीसीटीपीएल) से अपने दरमानों में सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए इसके साथ संलग्न आदेशानुसार संशोधित दरमान अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला सं. टीएएमपी/25/2020-सीसीटीपीएल)

चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड(सीसीटीपीएल)

आवेदक

कोरम

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीएचपीटी) में एक बीओटी संचालक - चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीसीटीपीएल), से दरमानों (स्केल ऑफ़ रेट्स) में सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

- 2.1. सीसीटीपीएल ने दिनांक 23 जुलाई 2020 को टैरिफ दिशानिर्देशों, 2019 के तहत दरों के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दायर किया है। उक्त प्रस्ताव पर, लाइसेंस प्रदानकर्ता पत्तन - अर्थात् चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीएचपीटी) और संबंधित उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों के साथ परामर्श किया गया।
- 2.2. कार्यालय द्वारा, सीसीटीपीएल के प्रस्ताव की आंतरिक रूप से जांच की गयी। सीसीटीपीएल से अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगे गए। सीसीटीपीएल ने मांगी गई अतिरिक्त जानकारियों/ स्पष्टीकरणों का जवाब दे दिया है। इस मामले में 19 अगस्त 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, सीसीटीपीएल, उपयोगकर्ता संगठनों और सीएचपीटी ने अपने-अपने निवेदन रखे हैं।
3. मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के आलोक में, इस प्राधिकरण ने सीसीटीपीएल के लिए संशोधित दरमानों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- 4.1. इस प्राधिकरण द्वारा पारित स्पीकिंग ऑर्डर भारत के राजपत्र में अधिसूचना की प्रक्रिया में है और इसकी अधिसूचना में कुछ और समय लगने की संभावना है। इसलिए, यह प्राधिकरण चाहता है कि स्पीकिंग आदेश की अधिसूचना का इंतजार किए बिना, संशोधित दरमान(स्केल ऑफ रेट) लागू कर दिए जाएं। तदनुसार, यह प्राधिकरण सीसीटीपीएल के संशोधित दरमानों को तत्काल अधिसूचित करता है जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
- 4.2. सीसीटीपीएल के संशोधित दरमान और शर्तें प्राधिकरण द्वारा पारित इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद या संशोधन के लिए इस प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद सीसीटीपीएल द्वारा सीसीटीपीएल को न्यायालय द्वारा अनुमत्त प्रशुल्क के संशोधन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त होने के बारे में मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय को एक हलफनामा दाखिल करके मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय को यह सूचित करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, लागू हो जाएंगे। एक बार संशोधित दरमान(स्केल ऑफ रेट) लागू हो जाने के बाद, ये वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगे। उसके पश्चात प्राधिकरण द्वारा विस्तारित ये दरमान स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इनकी अवधि में विशेष रूप से विस्तार न कर दिया जाए।
- 4.3. सीसीटीपीएल के संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा पारित स्पीकिंग ऑर्डर को अलग से अधिसूचित किया जाएगा और समय के दौरान सीसीटीपीएल, सीएचपीटी और प्रासंगिक उपयोगकर्ताओं / उपयोगकर्ता संगठनों को सूचित किया जाएगा।
5. टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति को वार्षिक रूप से सूचकांकित किया जाएगा। इस तरह के समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष में के 30 अप्रैल तक लागू होंगे। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि वर्तमान मामले में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए सूचकांकन के लिए पहले से ही एआरआर और एसओआर में आकलन पर विचार कर लिया गया है। इस प्रकार, एसओआर में पहला वार्षिक सूचकांकन 1 मई 2021 से लागू होगा। आगामी वर्षों के लिए, एसओआर, प्राधिकरण द्वारा घोषित किए जाने वाले डब्ल्यूपीआई के 60% पर स्वतः वार्षिक सूचकांकन(इंडेक्सेशन) के अध्याधीन है और इस प्रकार ये सूचकांकित एसओआर संबंधित वर्ष की पहली मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होंगे। अधिसूचित एसओआर को सीएचपीटी / उपयोगकर्ताओं और इस प्राधिकरण को सीसीटीपीएल द्वारा सूचित किये जाएंगे।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./394/2020-21]

अनुलग्नक

**चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्राईवेट लिमिटेड
दरमान**

(ये दरमान(एसओआर), भारत के राजपत्र में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, या सीसीटीपीएल द्वारा मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत्त प्रशुल्क में संशोधन के लिए

प्राधिकरण के अनुमोदन के बारे में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय को एक हलफनामा दाखिल करके, सूचित करने की तिथि से, जो भी बाद में है, लागू होंगे।)

प्रस्तावना

इन दरमानों में चेन्नै कंटेनर टर्मिनल में दी गई सेवाओं और सुविधाओं के उपयोग के लिए चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को देय शुल्क निर्धारित हैं।

1. परिभाषाएं

इन दरमानों(एसओआर) में, जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

- 1.1. 'सीसीटी' का अभिप्राय है : चेन्नै कंटेनर टर्मिनल ।
- 1.2. 'सीसीटीपीएल' का अभिप्राय है : चेन्नै कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड नामक भारत में कार्यरत एक कंपनी उसके उत्तराधिकारी और अधिकारी ।
- 1.3. 'सीएफएस' का अभिप्राय है : सीसीटी पर कंटेनर फ्रेट स्टेशन ।
- 1.4. 'तटीय पोत' का अभिप्राय: पोत परिवहन महानिदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच विशेष रूप से व्यापार में नियोजित पोत से है ।
- 1.5. 'कंटेनर' का अभिप्राय है एक आइएसओ मानक कंटेनर, जो कार्गो के परिवहन और स्टैकिंग के लिए उपयुक्त हो और एक यूनिट के तौर पर प्रहस्तन और कंटेनर स्प्रेडर के साथ क्रेन के द्वारा उठाए जाने के योग्य हो ।
- 1.6. 'एफसीएल' का अभिप्राय है कि कंटेनर, कंटेनर के लिए उपयुक्त लोड से परिपूर्ण है।
- 1.7. 'विदेशगामी पोत' का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा ।
- 1.8. 'खतरनाक कंटेनर' से तात्पर्य, आईएमओ के तहत वर्गीकृत 'खतरनाक सामान' वाले कंटेनर से है ।
- 1.9. 'आईसीडी' से अभिप्राय है : अंतरदेशीय कंटेनर डिपो ।
- 1.10. 'एलसीएल' का अभिप्राय है कि कंटेनर में पूर्ण कंटेनर लोड से कम भरा हुआ है(कंटेनर में एक से अधिक आयातक / निर्यातक वाले कार्गो हैं) ।
- 1.11. "अधिक आयाम वाला कंटेनर" से अभिप्राय: उस कंटेनर से होगा जो सामान्य आकार के मानक कंटेनरों से भिन्न अधिक आयाम वाले कार्गो को ले जाने के लिए आवश्यक है और/या जिनके लिए स्लिंग, शेकल्ल, उठाने वाली बीम आदि जैसे विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्षतिग्रस्त कंटेनर(उन बक्सों सहित जिनके कोने खराब होते हैं) और वे कंटेनर जिनको उठाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है को भी अधिक आयाम वाले कंटेनरों की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है ।
- 1.12. "प्रति दिन" का अभिप्राय: एक कैलेंडर दिवस या उसका कोई भाग से है।
- 1.13. 'प्रशीतक' का अभिप्राय खराब होने वाले माल की दुलाई के उद्देश्य के लिए, अपेक्षित ताप बनाए रखने के लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता वाले एक कंटेनर से है ।
- 1.14. 'पत्तन' का अर्थ है चेन्नै पत्तन न्यास ।
- 1.15. "शट आउट कंटेनर" का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है जिसने वीआईएएन द्वारा यथा सूचित पोत पर निर्यात के लिए टर्मिनल में प्रवेश किया है और किसी कारणवश उस पोत लादा नहीं गया ।
- 1.16. 'टन' का अभिप्राय 1000 किलोग्राम या एक क्यूबिक मीटर वाला एक मीट्रिक टन है ।
- 1.17. "ट्रांसशिपमेंट कंटेनर" का अभिप्राय ऐसे कंटेनर से है जिसे पोत से उतारकर सीसीटी में रखा गया और किसी अन्य पोत पर लादा(अग्रेषण के लिए) गया है ।
- 1.18. 'वीआईएएन' का अर्थ है पोत पहचान एडवाइस नंबर ।

- 1.19. 'फ्यूमीगेशन सुविधा' का अर्थ है कि कार्गो का कृमि/किटाणुरहित बनाना जिनके कृमियों/ किटाणुओं के द्वारा कुप्रभावित होने का खतरा होता है और उन्हें फ्यूमीगेशन या डि-गॉसिंग या दोनों के द्वारा किटाणुरहित/ कृमिरहित करने की आवश्यकता होती है
- 1.20. "मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम" का अर्थ है सीमा शुल्क विभाग द्वारा पेश किया जाने वाला एक कार्यक्रम, जिसके तहत विभाग द्वारा पंजीकृत ग्राहक "मान्यता प्राप्त ग्राहक" के रूप में एक अलग श्रेणी बनाएंगे, जिन्हें आश्वासित सुविधा प्रदान की जाएगी। आरएमएस एक यादृच्छिक आधार पर चयनित खेप के एक छोटे प्रतिशत को छोड़कर या ऐसे मामलों के आधार पर, जहां विशिष्ट बौद्धगम्यता उपलब्ध है या जहां गैर-अनुपालन की अवहेलना का उपचार किया जाना विशेष रूप से आवश्यक है, मान्यता प्राप्त ग्राहकों को स्व-मूल्यांकन के आधार पर निकासी की अनुमति दी जाएगी अर्थात् कार्रवाई में निकासी उनकी घोषणाओं के आधार पर और सामानों की जांच के बिना अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ देश के उन सभी बंदरगाहों पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा जहां ईडीआई और आरएमएस संचालित हैं।

सीमा शुल्क विभाग को उम्मीद है कि इस उपाय से कार्गो के पड़ाव समय और ऐसे आयातकों के लिए लेनदेन की लागत में कमी आएगी। कस्टम हाउस मान्यता प्राप्त ग्राहकों को सीमा शुल्क निकासी सेवा प्रदान करने के लिए अलग सुविधा-युक्त/पटल बना सकते हैं। सीमा शुल्क आयुक्तों को भी इन ग्राहकों के लिए अलग भंडारण स्थान, प्रहस्तन सुविधा और शीघ्र निकासी प्रक्रियाओं के लिए कस्टोडियन के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आईएमजी ने निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त आयातकों के कार्गो की तत्काल डिलीवरी के लिए पोर्ट परिसर में स्पष्ट रूप से अलग क्षेत्र बनाकर तेजी से वितरण प्रणाली की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम को दिनांक 24 नवंबर 2005 के सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 42/2005-सी.शु. में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है।

- 1.21. 'लंबे हॉल वाले पोत' - सिंगापुर / मलेशिया से आगे अमेरिका के महाद्वीपों/यूरोप/अफ्रीका महाद्वीपों के लिए यात्रा शुरू करने/पहुंचने वाले पोतों को 'लंबे हॉल वाले पोत' कहा जाएगा।

2. सामान्य

- 2.1 20' तक या इससे कम लंबाई के कंटेनरों को एक टीईयू (ट्वेंटी इक्विवेलेंट यूनिट) के रूप में माना जाएगा।
- 2.2. मानक आकार से हटकर, विशेष उपकरणों/स्लिंग/हैंडलिंग की आवश्यकता वाले अन्य कंटेनरों से नीचे दिए गए 3.5 के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। ऐसे कंटेनरों में क्षतिग्रस्त कंटेनर और किसी अन्य प्रकार के विशेष उपकरणों की आवश्यकता वाले कंटेनर होंगे।
- 2.3. अमेरिकी डॉलर में दर्शाए गए कंटेनर से संबंधित शुल्क, समतुल्य भारतीय मुद्रा रूप में एकत्र किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसकी सहायक कंपनी या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा अधिसूचित बाजार खरीद दर को, समय-समय पर पोत के टर्मिनल में प्रवेश की तिथि को प्रचलित(कंटेनरों के आयात के मामले में) और टर्मिनल परिसर में कंटेनरों के आगमन की तारीख पर (निर्यात कंटेनरों के मामले में) जैसे भी निर्दिष्ट की गई हो को डॉलर में उल्लेखित मुद्रा को फिर से भारतीय रुपये में परिवर्तित दर लागू की जाएगी।
- 2.4. कम किए गए सभी शुल्कों को प्रत्येक बिल के कुल जोड़ के अगले उच्च रुपये के लिए/ तक पूर्णांक कर दिया जाएगा।
- 2.5. सभी चालान (इनवायस) प्रस्तुत करते समय की स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं। भुगतान करने में विफलता के कारण टर्मिनल पर प्रहस्तित माल पर एक ग्रहणाधिकार रखा जा सकता है और जिम्मेदार पार्टी को टर्मिनल का आगे उपयोग करने से इनकार किया जा सकता है जब तक कि सभी बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।
- 2.6. (i) उपयोगकर्ता इस दरमान की दरों के तहत किसी भी शुल्क के विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इसी तरह, सीसीटीएल विलंबित वापसी पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।

- (ii). दंडात्मक व्याज की दर 15% प्रति वर्ष होगी। चुनी गई दंड-दर सीसीटीएल और पत्तन-उपयोगकर्ताओं दोनों पर समान रूप से लागू होगी
 - (iii). वापसी भुगतान में देरी को सेवाओं के पूरा होने की तारीख से 20 दिन या उपयोगकर्ताओं से अपेक्षित सभी दस्तावेजों के उत्पादन पर, जो भी बाद में हो, गिना जाएगा।
 - (iv). उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान में देरी को सीसीटीएल द्वारा बिल जारी होने की तारीख के 10 दिन बाद से ही गिना जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होता है, जहां भुगतान, सेवाओं का लाभ उठाने से पहले किया जाना होगा, जैसा महापत्तन न्यास अधिनियम और / या जहां इस दरमान में शुल्क का अग्रिम रूप में भुगतान निर्धारित किया गया है।
- 2.7. (i) एक सामान्य व्यापारिक लाइसेंस वाले भारतीय ध्वज का एक विदेशगामी पोत सीमा शुल्क रूपांतरण आदेश के आधार पर तटीय यात्रा(धावन) में बदल सकता है।
- (ii). विदेशी ध्वज का एक विदेशगामी जा रहा पोत नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी तटीय यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय रन में परिवर्तित हो सकता है।
- (iii). इस तरह के रूपांतरण के मामलों में लदान करने वाले पत्तन द्वारा, पोत पर तटीय माल को लोड करने के समय से तटीय दरें प्रभारित की जाएंगी।
- (iv). इस तरह के रूपांतरण के मामलों में तटीय दरें केवल तब तक प्रभार्य रहेंगी जब तक पोत तटीय कार्गो निर्वहन संचालन पूरा नहीं करता है; इसके तुरंत बाद, डिस्चार्ज पोर्ट द्वारा विदेशगामी दरों को प्रभारित किया जाएगा।
- (v). पोत परिवहन महानिदेशक से तटीय लाइसेंस वाले समर्पित भारतीय तटीय पोतों को, तटीय दरों के हकदार होने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.8. सीसीटी में यूनिट लोड के रूप में आने और जाने एक एलसीएल कंटेनर को शुल्क प्रभारित करने के उद्देश्य से एफसीएल माना जाएगा।
- 2.9. उपयोगकर्ताओं को सीसीटीएल के कारण उचित स्तर से अधिक देरी के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.10. सीसीटीएल के तटीय- आधारित सुविधाओं के खराब होने या अनुपलब्ध होने या सीसीटीएल के उत्तरदायित्व पर किसी भी अन्य कारणों से सीसीटीएल द्वारा एक पोत को अकार्यपूर्ण स्थिति में होने पर उस अवधि के लिए आकलित शुल्क के बराबर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को देय बर्थ किराया में छूट प्रदान की जाएगी।
- 2.11. केंद्रीय बोर्ड अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (NT) दिनांक 11.05.2018 के संदर्भ में श्रीलंका या बांग्लादेश के क्षेत्रीय जल के माध्यम से एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे भारतीय बंदरगाह तक जाने वाले जहाजों और कार्गो के लिए रियायती तटीय शुल्क :
- (क). केंद्रीय अधिसूचना बोर्ड द्वारा अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 11.05.2018 के संदर्भ में श्री लंका के प्रादेशिक जलीय क्षेत्र से किसी भी बंदरगाह पर रुक कर या बिना रुके, गुजरने वाले तटीय सामान पर पोत के या पोत परिवर्तन के, पूर्वी तट पर एक भारतीय बंदरगाह और पश्चिमी तट के एक अन्य भारतीय बंदरगाह या इसके विपरीत, परिवहित किए जाने पर पोत संबंधी शुल्कों और कार्गो संबंधी शुल्क में रियायत प्रदान की जाएगी।
 - (ख). अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना सं.38/2018 सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 11.05.2018 के संदर्भ में भारत में पूर्वी तट पर एक भारतीय बंदरगाह और एक नद्य पत्तन या इसके विपरीत, पोत के या पोत परिवर्तन के बांग्लादेशी जलीय क्षेत्र मार्ग से गुजरने वाले तटीय कार्गो को परिवहित किए जाने पर पोत संबंधित शुल्क और कार्गो से संबंधित शुल्क में रियायत प्रदान की जाएगी।

(ग). उपर्युक्त निर्धारित प्रावधान आदेश सं.टीएएमपी/53/2015--वीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 और संशोधन आदेश सं. टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी दिनांक 10 जून 2016 में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन के अध्याधीन होंगे।

- 2.12 प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एसओआर प्राधिकरण द्वारा घोषित की जाने वाली डब्ल्यूपीआई के 60% पर स्वसंचालित वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन हैं। एसओआर में अगला वार्षिक सूचकांकन 01 मई 2021 से लागू होगा। बाद के वर्षों के लिए, वार्षिक इंडेक्स एसओआर संबंधित वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होंगे। सूचकांकित दरमान को सीसीटीपीएल द्वारा सीएचपीटी, उपयोगकर्ताओं और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

3 कंटेनर संचालन के लिए प्रभार				
3.1. एफसीएल आयात एवं निर्यात कंटेनरों और खाली कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार				
3.1.1. लैशिंग/अनलैशिंग सहित क्वे क्रेन के माध्यम से प्रहस्तन				
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	अमेरिकी \$.	रू.
	प्रति एफसीएल कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	22.78	21.65	574.18
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	34.16	32.45	860.88
	- लंबाई 40' से अधिक	45.56	43.28	1,148.09
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	22.78	22.78	574.18
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	34.16	34.16	860.88
	- लंबाई 40' से अधिक	45.56	45.56	1,148.09
सेवाओं में क्वे क्रेन और लैशिंग / अनलैशिंग द्वारा हैंडलिंग शामिल है।				
3.1.2. क्यूसी से यार्ड और इसके व्युत्क्रम में दुलाई(ट्रांसपोर्टेशन)				
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		रू.	रू.	रू.
	प्रति एफसीएल कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	649.16	616.71	389.50
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	973.71	925.02	584.23
	- लंबाई 40' से अधिक	1,298.32	1,233.40	778.99
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	321.49	321.49	192.90
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	482.24	482.24	289.34
	- लंबाई 40' से अधिक	642.98	642.98	385.79

	सेवाओंमें क्वे-साईड के लिए परिवहन का आना/जाना शामिल है ।			
3.1.3.(क) कंटेनर यार्ड में आन्तरिक स्थानांतरण वाहन पर लादने / उतारने संबंधी प्रहस्तन				
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		रू.	रू.	रू.
	प्रति एफसीएल कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	358.74	340.80	215.24
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	538.11	511.20	322.86
	- लंबाई 40' से अधिक	717.46	681.59	430.48
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	177.66	177.66	106.59
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	266.48	266.48	159.89
	- लंबाई 40' से अधिक	355.31	355.31	213.19
	भंडारण के लिए कंटेनर यार्ड पर लिफ्ट सहित सेवाएं			
3.1.3.(ख) ग्राहकों को वितरण/से प्राप्त के लिए कंटेनर यार्ड में लदान/उतरायी संबंधी प्रहस्तन				
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		रू.	रू.	रू.
	प्रति एफसीएल कंटेनर			
	-लंबाई में 20' से अधिक नहीं	358.74	340.80	358.74
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	538.11	511.20	538.11
	- लंबाई 40' से अधिक	717.46	681.59	717.46
	प्रति खाली कंटेनर			
	-लंबाई में 20' से अधिक नहीं	177.66	177.66	177.66
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	266.48	266.48	266.48
	- लंबाई 40' से अधिक	355.31	355.31	355.31
	ग्राहक के वाहन से/को कंटेनर की उतरायी या लदान के लिए कंटेनर यार्ड में लिफ्टें शामिल है			

3.2.	एलसीएलआयात और निर्यात कंटेनरों के लिए प्रहस्तन प्रभार		
3.2.1.	लैशिंग/अनलैशिंग सहित क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन प्रभार:		

		विदेशगामी पोत	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	रु.
	प्रति एलसीएल कंटेनर		
	--लंबाई 20' से अधिक नहीं	22.78	574.18
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40 'तक	34.16	860.88
	- लंबाई 40' से अधिक	45.56	1148.09
	क्वे क्रेन द्वारा द्वारा प्रहस्तन और लैशिंग/अनलैशिंग सेवाओं सहित		
3.2.2. (a)	-क्यूसी से कंटेनर यार्ड को और इसके व्युत्क्रम में कंटेनर की दुलाई(ट्रांसपोर्टेशन)		
		विदेशगामी पोत	तटीय
		रु.	रु.
	प्रति एल सीएल कंटेनर		
	लंबाई में 20' से अधिक नहीं	649.16	389.50
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40 'तक	973.71	584.23
	- लंबाई 40' से अधिक	1298.32	778.99
	सेवाओं में कंटेनर के क्वे से यार्ड को और व्युत्क्रम में सी वाई को दुलाई शामिल हैं।		

3.2.2. (ख)	- आंतरिक स्थानांतरण वाहन से /पर कंटेनर यार्ड को/ से प्रहस्तन :		
		विदेशगामी पोत	तटीय पोत
		रु.	रु.
	प्रति एलसीएल कंटेनर		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	358.74	215.25
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40 'तक	538.11	322.87
	- लंबाई 40' से अधिक	717.46	430.47
	सेवाओं में कंटेनर यार्ड में भंडारण के लिए लिफ्टें शामिल हैं		

3.2.2. (ग)	- सीएफएस से यार्ड और व्युत्क्रम में कंटेनर की दुलाई, ग्राहक के वाहन पर कंटेनर से उतरायी और का लदान और सीएफएस पर प्रहस्तन कार्य		

		विदेशगामी पोत	तटीय पोत
		रु.	रु.
	प्रति एलसीएल कंटेनर		
	-लंबाई में 20' से अधिक नहीं	1399.95	1399.95
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	2099.97	2099.97
	- लंबाई 40' से अधिक	2799.93	2799.93
	नोट: सेवाओं में ग्राहकके वाहनसे या पर उतराई/लदान, पोत और यार्ड में स्टोवेज योजना, डाटा प्रहस्तन, प्रक्रिया और पोतों, सीसीटीएल और शिपिंग लाइनों के मध्य स्थानांतरण शामिल हैं। खाली कंटेनर की डिलीवरी के लिए अलग से लिफ्ट ऑन/ ऑफ शुल्क लिया जाएगा।		
3.2.3.	सीसीटी में कार्गो की भराई/रिक्तीकरण		
		विदेशगामी पोत	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	रु.
	भराई/रिक्तीकरण प्रति कंटेनर		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	30.00	754.15
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	45.00	1,131.21
	- लंबाई 40' से अधिक	60.00	1,507.97
नोट : (I)	सेवाओं में एलसीएल कंटेनरों की भराई या रिक्तीकरण शामिल हैं		
(II)	आधा-कंटेनर की भराई / रिक्तीकरण के लिए, उपर्युक्त दरों का 50% लगाया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, 50% या कंटेनर के 50% भाग से कम भाग की भराई / रिक्तीकरण को आधा-कंटेनर माना जाएगा। हालांकि यदि एक कंटेनर की 50% से अधिक ऊपर या भराई/रिक्तीकरण किया जाता है तो इसे पूर्ण कंटेनर के रूप में माना जाएगा। सीएफएस में सीमा शुल्क परीक्षा के लिए यदि केवल 25% या कम से कम 25% कंटेनर का रिक्तीकरण/भराई की जाती है तो उपरोक्त उल्लिखित दरों का 25% शुल्क लागू होगा।		

3.3.	आईसीडी निर्यात / आयात कंटेनर के प्रहस्तन के लिए प्रभार			
3.3.1.	लैशिंग /अनलैशिंग सहित क्वे-क्रेन द्वारा प्रहस्तन प्रभार			
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		अमेरिकी \$	अमेरिकी \$	रु.
	प्रति भरा हुआ कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	22.78	21.65	574.18
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40 'तक	34.16	32.45	860.88
	- लंबाई 40' से अधिक	45.56	43.28	1,148.09
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	22.78	22.78	574.18

	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	34.16	34.16	860.88
	- लंबाई 40' से अधिक	45.56	45.56	1,148.09
	सेवाओं में क्वे-क्रेन द्वारा प्रहस्तन और लैशिंग /अनलैशिंग शामिल है			
3.3.2.	क्यू सी से कंटेनर रेल यार्ड और इसके व्युत्क्रम में ढुलाई(ट्रांसपोर्टेशन)			
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		रु.	रु.	रु.
	प्रति भरा हुआ कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	616.73	585.89	370.03
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	925.05	878.79	555.03
	- लंबाई 40' से अधिक	1,233.41	1,171.74	740.05
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	305.42	305.42	183.26
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	458.10	458.1	274.86
	- लंबाई 40' से अधिक	610.84	610.84	366.51
	सेवाओं में कंटेनर रेल यार्ड, पोत और यार्ड में स्टोवेज योजना, डाटा प्रहस्तन, प्रक्रिया और पोतों सीसीटी और शिपिंग लाइनों के मध्य स्थानांतरण शामिल हैं।			
3.3.3 (क)	कंटेनर यार्ड में आन्तरिक स्थानांतरण वाहन से उतरायी/ पर लदान प्रहस्तन			
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		रु.	रु.	रु.
	प्रति भरा हुआ कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	358.73	340.80	215.24
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	538.11	511.20	322.86
	- लंबाई 40' से अधिक	717.46	681.59	430.48
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	177.66	177.66	106.59
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	266.48	266.48	159.89
	- लंबाई 40' से अधिक	355.31	355.31	213.19
	सेवाओं में, कंटेनर यार्ड में भंडारण के लिए लिफ्टें			

	शामिल हैं			
--	-----------	--	--	--

3.3.3 (ख)	ग्राहक से/को वितरण/प्राप्ति के लिए कंटेनर यार्ड में लिफ्ट ऑन/आफ़ – प्रहस्तन			
		विदेशगामी पोत	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		रु.	रु.	रु.
	प्रति भरा हुआ कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	358.73	340.80	358.73
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	538.11	511.20	538.11
	- लंबाई 40' से अधिक	717.46	681.59	717.46
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	177.66	177.66	177.66
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	266.48	266.48	266.48
	- लंबाई 40' से अधिक	355.31	355.31	355.31
	इन सेवाओं में कंटेनर रेल यार्ड में लिफ्ट, पोत और यार्ड में स्टोवेज प्लानिंग, डाटा अनुरक्षण, प्रसंस्करण और पोतों सीसीटी और शिपिंग लाइनों के मध्य स्थानांतरण शामिल है।			

3.4.	क्वे साइड में कार्यरत स्टीवडोरिंग श्रम द्वारा प्रहस्तन सहित ट्रांसशिपमेंट कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए प्रभार , लैशिंग / अनलैशिंग प्रभार			
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	अमेरिकी \$.	रु.
	प्रति भरा हुआ कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	27.33	27.33	775.00
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	41.00	41.00	1162.00
	- लंबाई 40' से अधिक	54.66	54.66	1550.00
	प्रति खाली कंटेनर			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	27.33	27.33	1453.94
	- 20' से अधिक और लंबाई में 40' तक	41.00	41.00	2180.91
	- लंबाई 40' से अधिक	54.66	54.66	2907.88
	सेवाओं में क्वे क्रेन (डिस्चार्ज और लोडिंग), ट्रांसपोर्ट और, लिफ्ट्स, पोत और यार्ड पर स्टोवेज प्लानिंग, डेटा हैंडलिंग, प्रसंस्करण और पोत, सीसीटी और शिपिंग लाइन के बीच स्थानांतरण शामिल हैं।			

नोट: (I)	सीएफएस, आईसीडी या स्थानीय स्तर पर डिलीवरी के लिए भेजा गया एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर से स्थानीय कंटेनर का शुल्क लिया जाएगा
(II)	धारा 3.10 के अनुसार एक शट आउट चार्ज लागू होगा यदि -
	(क) पोत का नामांकन बदल दिया गया है; या
	(ख) यदि पोत का नामकरण पहले वाले जहाज के बाद बाद में बर्थ किए गए किसी पोत के साथ बदल दिया जाता है,

3.5.	खतरनाक कार्गो कंटेनरों / अधिक-आयामी कार्गो कंटेनरों के लिए शुल्क।			
	कंटेनरों की संबंधित श्रेणियों के लिए ऊपर दिए गए लागू हैंडलिंग चार्ज पर 37.5% का प्रीमियम लगाया जाएगा।			
3.6.	घाट भाड़ा प्रभार			
		विदेशगामी पोत अन्य	विदेशगामी पोत लंबे हॉल वाले	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	अमेरिकी \$.	रू.
	प्रति कंटेनर (केवल बॉक्स)			
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	1.30	1.24	32.88
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	1.96	1.86	49.44
	- लंबाई 40' से अधिक	2.60	2.47	65.49
	प्रति कंटेनर कार्गो	रू.	रू.	रू.
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	715.85	680.06	429.51
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	1,073.78	1,020.09	644.27
	- लंबाई 40' से अधिक	1,431.70	1,360.11	859.02
नोट:				
1	सभी मामलों में कंटेनरीकृत कार्गो के लिए शुल्क रुपए के संदर्भ में होगा।			
2	'विदेशी आगमन' और 'विदेशी प्रस्थान' के मामलों में कंटेनरों का शुल्क डॉलर के संदर्भ में होगा।			
3	'तटीय आगमन' और 'तटीय प्रस्थान' के मामलों में कंटेनरों का शुल्क रुपये के संदर्भ में होगा।			
4	आईसीडी, ट्रांसशिपमेंट, एलसीएल और एफसीएल और खाली कंटेनरों सहित सभी कंटेनरों पर घाट शुल्क लिया जाएगा।			
3.7	हैच कवर के प्रहस्तन के एक ऑपरेशन (खोलने और बंद करने के लिए) के लिए शुल्क।			
		विदेशगामी पोत अन्य	तटीय पोत	

		अमेरिकी \$.	रू.
	कवे पर हैच कवर उतारे बिना	18.22	459.23
	कवे पर हैच कवर उतार कर	45.56	1,148.09
Note:	यदि एक ही गतिविधि अर्थात् खोलना या बंद करना, संचालित होती है तो आधी दर प्रभार्य होगी।		
3.8	पोत के अंदर कंटेनरों के स्थानांतरण के लिए प्रभार (रीस्टो)		
		विदेशगामी पोत अन्य	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	रू.
	हैच के अंदर (बिना उतारे और पुनःपोत पर चढ़ाना) प्रति कंटेनर		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	11.07	279.06
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	16.60	418.20
	- लंबाई 40' से अधिक	22.13	557.61
	कवे के मार्ग से (कवे पर उतरकर और पोत पर पुनः चढ़ाकर स्थानांतरण)		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	32.54	820.10
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	48.82	1,230.15
	- लंबाई 40' से अधिक	65.08	1,639.94
नोट:	रीस्टो कंटेनरों और कंटेनरीकृत कार्गो पर कोई घाटभाड़ा प्रभारित नहीं होगा।		

3.9	प्रशीतन संबंधी और अन्य सामान्य सेवाएं		
		विदेशगामी पोत अन्य	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	रू.
क)	ट्रिप-पूर्व निरीक्षण (विद्युत् की आपूर्ति सहित)	33.37	841
ख)	पोत पर कनेक्शन जोड़ने और हटाने की सेवाएं	2.22	56.07
ग)	कंटेनर की सफाई		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	1.67	42.05
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	3.34	84.10
	- लंबाई 40' से अधिक	5.01	126.15
घ)	विद्युत् आपूर्ति (कनेक्शन जोड़ने और हटाने, प्रशीतन यार्ड पर तापमान की मानीटरिंग सहित) प्रतिकंटेनर प्रति 4 घंटे की पाली या उसका भाग।		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	3.93	99.24
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	5.91	148.85

	- लंबाई 40' से अधिक	7.88	198.48
नोट			
(i)	उपर्युक्त प्रशुल्क में प्रशीतकों के मानकों का व्यवस्थीकरण या मरम्मत और खराबी को दूर करना(अनुरक्षण)शामिल नहीं है। उपर्युक्त प्रभार री-स्टो प्रशीतक कंटेनरों पर भी लागू होंगे।		
(ii)	प्रशीतक कंटेनरों का ट्रिप-पूर्व निरीक्षण और कंटेनरोंकी सफाई वैकल्पिक सेवाएँ हैं और अनुरोधकरने पर प्रदान की जाएंगी। खतरनाक कागों पर खंड 3.5 के अनुसार प्रिमियम देना होगा।		
3.10	शट-आऊट कंटेनरों /कंटेनरों के पुनः नामांकन के लिए प्रभार		
		विदेशगामी पोत अन्य	तटीय पोत
		अमेरिकी \$.	रू.
	प्रति कंटेनर		
	- लंबाई में 20' से अधिक नहीं	24.73	1,038.50
	- लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	37.10	1,558.39
	- लंबाई 40' से अधिक	49.46	2,077.43
नोट:	- उपर्युक्त प्रभार वहां लागू होंगे जहां :		
(i)	एक निर्यात कंटेनर या एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर या एक पुनःनिर्यात कंटेनर शटआऊट कहलाता है और बाद में सीसीटी के बाहर वितरित किया जाता है :		
(ii)	क्वे क्रेन प्रभारों के द्वारा प्रहस्तन के लिए प्रभारों के अतिरिक्त , एक कंटेनर एक पोत द्वारा शटआऊट कर दिया जाता है और बाद में दूसरे पोत पर प्रेषित किया जाता है। इस मामले में निशुल्क अवधि खंड 3.11 के अनुसार कंटेनर की पहली प्राप्ति के समय से लागू होगी। यदि निशुल्क अवधि समाप्त हो जाती है तो भंडारण प्रभार निशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद से लिफ्ट ऑन के समय तक प्रभार्य होंगे।		

3.11.	कंटेनर भंडारण के लिए प्रभार						
		विदेशगामी पोत अन्य /लंबे हॉल वाले			तटीय पोत		
क्रम सं.	विवरण	दर: प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका कोई भाग (अमेरिकी \$)			दर: प्रति कंटेनर प्रति दिन या उसका कोई भाग (रू.)		
		लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	लंबाई 40' से अधिक	लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	लंबाई 40' से अधिक
1	आयात- एफसीएल,एलसीएल और खाली						
	0- 3 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	-	-	-
	4-15 दिन	5.56	11.12	16.69	-	-	-

	16-30 दिन	11.12	22.25	33.37	-	-	-
	30 दिन से आगे	22.25	44.50	66.75	-	-	-
	0-10 दिन	-	-	-	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	11-15 दिन	-	-	-	233.61	467.22	700.83
	16-30 दिन	-	-	-	467.22	934.44	1401.66
	30 दिन से आगे	-	-	-	934.44	1868.88	2803.32
2	निर्यात – एफसीएल, एलसीएल और खाली						
	0- 7 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	-	-	-
	8-15 दिन	5.56	11.12	16.69	-	-	-
	16-30 दिन	11.12	22.25	33.37	-	-	-
	30 दिन से आगे	22.25	44.50	66.75	-	-	-
	0- 10 दिन	-	-	-	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	11-15 दिन	-	-	-	233.61	467.22	700.83
	16-30 दिन	-	-	-	467.22	934.44	1401.66
	30 दिन से आगे	-	-	-	934.44	1868.88	2803.32
3	आईसीडी- आयात और निर्यात भरे हुए और खाली						
	प्रथम 10 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	11-30 दिन	5.56	11.12	16.69	233.61	467.22	700.83
	31-45 दिन	11.12	22.25	33.37	467.22	934.44	1401.66
	45 दिन से आगे	22.25	44.50	66.75	934.44	1868.88	2803.32
4	ट्रांसशिपमेंट- भरे हुए और खाली						
	प्रथम 20 दिन	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क	निशुल्क
	21-45 दिन	5.56	11.12	16.69	233.61	467.22	700.83
	46-60 दिन	11.12	22.25	33.37	467.22	934.44	1401.66
	60 दिन से आगे	22.25	44.50	66.75	934.44	1868.88	2803.32
5	शटआऊट – भरे हुए और खाली						
	प्रथम 15 दिन	5.56	11.12	16.69	233.61	467.22	700.83
	16-30 दिन	11.12	22.25	33.37	467.22	934.44	1401.66
	30 दिन से आगे	22.25	44.50	66.75	934.44	1868.88	2803.32

[illegible]

3.12.7.	यदि 1.21 पर बताए गए "मान्य ग्राहक कार्यक्रम" (एसीपी) के तहत वितरण के लिए बक्से टर्मिनल पर उतरने के 3 दिनों के भीतर बाहर नहीं किए जाते हैं, तो इन बॉक्सों को नामित एसीपी आयात से सामान्य आयात स्टैक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में स्टैक क्षेत्र में यथालागू अतिरिक्त लिफ्टऑन/लिफ्ट ऑफ और / या स्थानांतरण शुल्क प्रभारित होगा।
3.12.8.	आईसीडी कंटेनरों के मामले में निर्धारित निशुल्क अवधि और भंडारण दर, रेल द्वारा केवल आईसीडी तक/से संचलन के लिए लागू होती है।
3.12.9.	बाद में एलसीडी या आईडी कंटेनरों में मोड बदलने वाले सामान्य आयात कंटेनर के लिए स्थानीय एफसीएल कंटेनरों पर लागू होने वाली निशुल्क अवधि के समान लागू होगी।
3.12.10.	एक शट-आउट कंटेनर के लिए कुल भंडारण अवधि की गणना कंटेनर शट-आउट होने के अगले दिन से शिपमेंट/डिलीवरी के दिन तक, की जाएगी।
3.12.11.	परित्यक्त एफसीएल कंटेनरों / शिप के स्वामित्व वाले कंटेनरों पर भंडारण शुल्क लिखित में परित्याग की प्राप्ति की तारीख तक या कंटेनर की लैंडिंग की तारीख से 75 दिनों तक, जो भी पहले हो निम्नलिखित शर्तों के अधीन लगाया जाएगा:
(i).	परेषिती किसी भी समय परित्याग का पत्र जारी कर सकता है।
(ii).	यदि परेषिती परित्याग के ऐसे पत्र जारी न करने का विकल्प चुनता है, तो कंटेनर एजेंट / एमएलओ इस शर्त के अधीन परित्याग पत्र जारी कर सकता है,
(क)	लाइन कार्गो के साथ कंटेनर की कस्टडी ले लेगी और या तो इसे वापस ले जाएगी या पोर्ट परिसर से हटा देगी; तथा
(ख)	लाइन कंटेनर की हिरासत में लेने से पहले कार्गो और कंटेनर पर अर्जित सभी बंदरगाह शुल्क का भुगतान करेगी।
(iii)	कंटेनर एजेंट / एमएलओ आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करेगा और परिवहन और रिक्तीकरण की लागत वहन करेगा। निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कार्रवाई न कर पाने के मामले में, कंटेनर पर भंडारण शुल्क तब तक लगाया जाएगा जब तक कि शिपिंग लाइनों द्वारा कार्गो को रिक्त करने के लिए ऐसी सभी आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है।
(iv).	जहां कंटेनर को कस्टम अधिकारियों द्वारा जब्त / जब्त कर लिया गया है और उसी को 75 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर रिक्त नहीं किया जा सकता है, भंडारण शुल्क आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने वाली लाइनों के लिए विषयगत कार्गो के सीमा शुल्क आदेश जारी करने पर उनके परिवहन और रिक्तीकरण की लागत वहन करने की शर्त के अध्याधीन उस तारीख से बंद हो जाएगा और अन्यथा, लाइनों/कनसाइनी द्वारा जब्त / जब्त किए गए कंटेनरों को पोर्ट परिसर के क्षेत्र से सीमा शुल्क प्रतिबंधित क्षेत्र को हटा दिया जाना चाहिए और उस स्थिति में भंडारण प्रभार ऐसे निष्कासन की तारीख से लागू नहीं होगा।
3.12.12.	निर्यात कंटेनरों के लिए भूमि – स्लॉट पोत की साप्ताहिक पुकार के लिए 7 दिनों और पोत की दो स्प्टाहों में 5 दिनों के लिए आरिक्षत होगा

3.12.13	विविध प्रभार			
क्रम सं..	विवरण	दर प्रति कंटेनर (रू.)		

		लंबाई में 20' तक	लंबाई में 20' से अधिक और 40' तक	लंबाई 40' से अधिक
(i).	सील लगाना/हटाना	222.49	222.49	222.49
(ii).	सीवाई में लिफ्ट ऑन/लिफ्ट ऑफ	715.85	1,073.78	1,431.70
(iii).	टर्मिनी में स्थानांतरण के लिए प्रभार	976.16	1,464.24	1,952.31
(iv).	पीओडी में परिवर्तन	976.16	1,464.24	1,952.31
(v).	अतिरिक्त संचलन – टर्मिनल से रेल को या रेल से टर्मिनल को / अतिरिक्त संचलन/परिवहन के लिए प्रभार	976.16	1,464.24	1,952.31
(vi).	कंटेनर की स्थिति में रेल से सड़क मार्ग या व्युत्क्रम में परिवर्तन	976.16	1,464.24	1,952.31
(vii).	वीआईएन विशेष के लिए गेट-कट-ऑफ समय के बाद टर्मिनल में पहुंचने वाले निर्यात कंटेनरों के लिए प्रभार	976.16	1,464.24	1,952.31
(viii).	खतरनाक स्टिकर का लगाना या हटाना (प्रति कंटेनर)	111.24	111.24	111.24
(ix).	प्रति कंटेनर एक द्वारा खोलने के लिए प्रभार	667.46	667.46	667.46
(x).	अभिलेखों का रद्दीकरण –प्रति आईआर/अभिलेख प्रभार/क्षति रिपोर्ट/मापतोल	111.24	111.24	111.24
(xi).	अधोषित स्थिति/ खतरनाम और अधिक आयामी कंटेनरों संबंधी गलत घोषणा	3,337.29	3,337.29	3,337.29
(xii).	संचल सीमा शुल्क निरीक्षण (प्रति कंटेनर)	444.97	444.97	444.97
(xiii).	फ्यूमीगेशन प्रभार	2,224.86	2,224.86	2,224.86
(xiv).	टर्मिनल में लैशिंग बिन के संचलन के लिए फॉर्कलिफ्ट प्रभार (प्रति लैशिंग बिन)	111.24	111.24	111.24
(xv).	स्लिंगों का प्रावधान	450.00	450.00	450.00
(xvi).	कंटेनरों की सफाई	450.00	450.00	450.00
(xvii).	अनिवार्य उपयोक्ता प्रभार (एमयूसी)	165.00	165.00	165.00
नोट				
(i).	ग्राहक के अनुरोध पर आईआर रद्द करने पर रद्दीकरण प्रभार			
(ii).	'एक द्वार खुला' – ये प्रभार उन कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए लगाए जाने जिनका केवल एक द्वार खुला रखने द्वार के खोले जाने और उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है(उदाहरणार्थ :प्याज)और की जाती है			
(iii).	'सील लगाना' में रेल/सड़क मार्ग/समुद्र मार्ग से बिना समुचित बॉटल-सील के पहुंचने पर उसके टर्मिनल में प्रवेश से पूर्व बॉटल सील लगाई जाएगी। यह कार्य शिपिंग लाइन की लिखित सहमति के किया जाएगा। जिन पर टर्मिनल द्वारा ऐसी सील लगायी जाएगी, ऐसे कंटेनरों की सूची लाइन्स को दी जाएगी।			
(iv).	"खतरनाक स्टिकर का लगाना/हटाना ". आईएमसीओ वर्ग का संकेत देते वाले खतरनाक स्टिकर , खतरनाक कार्गो वहन करने वाले कंटेनरों पर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार गैर खतरनाक कार्गो वहन करने वाले कंटेनरों पर से पुराने स्टिकरों को हटा दिया जाएगा। किसी भी मामले में ग्राहक द्वारा सीसीटी को टर्मिनल में कथित कार्य			

	के बारे में लिखित में सूचित किया जाना होगा।		
(v).	सचल सीमा शुल्क निरीक्षण। कंटेनर का सचल निरीक्षण ग्राहक के अनुरोध पर केवल नामांकित स्थल पर अनुमत्त होगा। कंटेनर के दरवाजे केवल सीमा शुल्क के पर्यवेक्षण में ही खोले जाएंगे। टर्मिनल के अंदर भराई/रिक्तीकरण के बारे में, यहां तक कि आंशिक तौर पर भी, कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।		
(vi).	टर्मिनल से रेल साइडिंग या रेल साइडिंग से टर्मिनल को अतिरिक्त संचलन सीसीटी द्वारा संचलित आईसीडी कंटेनर के लिए अनुमत्त होगा। पत्तन के अंदर एक अन्य टर्मिनल के लिए संचलन हेतु 2 गुणा अतिरिक्त संचलन प्रभार प्रभार्य होगा।		
(vii).	खतरनाक कंटेनर के बारे में अधोषणा/गलत घोषणा। ग्राहक को आईएमसीओ विनियमों के अनुसार कार्गो की खतरनाक प्रकृति की घोषणा करनी होगी। उपर्युक्त प्रभार केवल कंटेनर की खतरनाक प्रकृति की अधोषणा/गलत घोषणा के लिए हैं।		
	अधोषणा या गलत घोषणा के कारण सृजित होने वाले दायित्व और लागतों के लिए ग्राहक उत्तरदायी होंगे।		
(viii).	'कंटेनर मानतोल प्रभार' वहां लागू होंगे जहां टर्मिनल को किन्हीं सांविधिक विनियमों/ ग्राहक द्वारा भार की गलत घोषणा के कारण भार तुलवाने की आवश्यकता होगी। इस सेवा का ग्राहक द्वारा अनुरोध करने पर भी यह प्रभार लगाया जाएगा।		
(ix)	सीवाई में कंटेनर को बिना जमीन पर उतारे परिवर्तित करने संबंधी कार्रवाई के लिए लिफ्ट ऑन / ऑफ की आधी दर प्रभार्य होगी।		
(X)	वे कंटेनर जिनका प्रहस्तन सुरक्षा पूर्वक नियमित रूप से प्रयोज्य उपकरणों से नहीं किया जा सकता है, उनके लिए ग्राहक के अनुरोध पर स्लिंगों का प्रयोग किया जाएगा।		
(Xi)	खाली कंटेनरों की सफाई ग्राहक के अनुरोध की जाएगी		
3.13.	कंटेनर बर्थों के साथ साथ शिपिंग के लिए पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रभार		
		विदेशगामी	तटीय
		अमेरिकी \$.	रु.
	प्रति 1000 लिटर या उसका कोई भाग	7.55	317.29
3.14.	स्थल पर कचरा साफ करने संबंधी शुल्क		
		रु.	
	प्रति 1/2 क्यूबिक मीटर बैग	260.21	
4	सीएफएस पर वसूल किए जाने वाले शुल्क		
4.1.	भंडारण शुल्क		
	अवधि	दर: प्रति टन /प्रतिदिन या उसका कोई भाग	
		(रु.)	
	प्रथम 3 दिन	निशुल्क	
	4 - 10 दिन	35.00	
	11 दिन - 20 दिन	70.00	
	21 दिन - 30 दिन	82.50	

	उसके बाद	110.00	
नोट :	निशुल्क अवधि का परिकलन के लिए रविवार, कस्टम अधिसूचित अवकाशों और टर्मिनल के अकार्य दिवसों को नहीं गिना जाएगा		
4.2.	वाहन से उतरायी/पर लदान के लिए प्रभार – रु. 75/- प्रति टन या उसका कोई भाग ।		
4.3	ग्राहक के अनुरोध पर फोर्क लिफ्ट प्रभार रु. 250/- प्रति मी. टन		
4.4	ग्राहक के अनुरोध पर पैकिंग / अनपैकिंग प्रभार- रु.80 प्रति पैकेज		
4.5	भराई के लिए कार्गो प्राप्त करने के लिए प्रवेश और लेबलिंग शुल्क - रु. 28/- प्रति मी. टन		
4.6	अभिलेखीकरण प्रभा प्रति कनसाइनमेंट- रु.250/- ।		
4.7	पल्लेजेशन/डीपल्लेजेशन- रु. 150/- प्रति पल्ला ।		

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th November, 2020

No. TAMP/25/2020-CCTPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the revised Scale of Rates disposing of the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) for General revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/25/2020-CCTPL

Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL)

- - -

Applicant

QUORUM

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of October, 2020)

This case relates to the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL), a BOT Operator at Chennai Port Trust (CHPT) for general revision of its Scale of Rates.

2.1. The CCTPL vide its dated 23 July 2020 has filed its proposal for general revision of its scale of rates under Tariff Guidelines, 2019. The said proposal was taken on consultation with the Licensor port viz., Chennai Port Trust (CHPT) and concerned users / user organisations.

2.2. The proposal of the CCTPL was internally scrutinized in the office. The additional information/clarifications were sought from the CCTPL. The CCTPL has responded to the additional information/clarifications sought. A joint hearing in this case was held on 19 August 2020 through Video conferencing. At the joint hearing, the CCTPL, the user organisations and the CHPT have made their submissions.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has approved the revised Scale of Rates of CCTPL.

4.1. The Speaking Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India and it is likely to take some more time for notification. Therefore, this Authority desires that the revised Scale of Rates may come into force without waiting for notification of the Speaking Order. Accordingly, this Authority notifies the revised Scale of Rates of the CCTPL immediately which is attached as **Annex**.

4.2. The revised Scale of Rates and conditionalities of the CCTPL shall come into force after expiry of 30 days from the date of notification of this Order passed by the Authority in the Gazette of India or from the date the CCTPL intimates the Hon'ble High Court of Madras about the CCTPL getting approval of this Authority for revision of the Court permitted tariff, by way of filing an Affidavit in the Hon'ble High Court of

Madras, whichever is later. Once the revised Scale of Rates comes into effect, it shall be in force for a period of three years thereafter, subject to annual indexation. The approval accorded to the Scale of Rates will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

4.3. The Speaking Order passed by this Authority in respect of CCTPL will be notified separately and communicated to the CCTPL, CHPT and the relevant users/ user organisations in due course of time.

5. As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. It is relevant here to state that in the instant case indexation for the year 2019-20 and 2020-21 is already considered in the ARR and for drawing the SOR. Thus, the first annual indexation in SOR will be applicable from 1 May 2021. For the subsequent years, the SOR is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by the Authority and such indexed SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. The indexed SOR shall be intimated by the CCTPL to the CHPT, users and to this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./394/2020-21]

Annex

CHENNAI CONTAINER TERMINAL PRIVATE LIMITED

SCALE OF RATES

(This SOR shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed by the Authority in the Gazette of India or from the date it is intimated to the Hon'ble Madras High Court by CCTPL about getting approval of the Authority for revision of High Court permitted tariff, by filing an Affidavit in the Hon'ble High Court of Madras, whichever is later.)

PREFACE

This Scale of Rates sets out the charges payable to Chennai Container Terminal Private Limited for use of services and facilities provided at the Chennai Container Terminal.

1 DEFINITIONS

In this Scale of Rates, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- 1.1. "CCT" means Chennai Container Terminal.
- 1.2. "CCTPL" means Chennai Container Terminal Pvt Limited, a company incorporated in India its successors and assigns.
- 1.3. "CFS" means Container Freight Station at the CCT.
- 1.4. "Coastal Vessel" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping / competent authority
- 1.5. "Container" means the standard ISO container, suitable for the transport and stacking of cargo and must be capable of being handled as a unit and lifted by a crane with a container spreader.
- 1.6. "FCL" means Containers said to contain Full Container Load.
- 1.7. "Foreign-going Vessel" shall mean any vessel other than a coastal vessel.
- 1.8. "Hazardous container" means a Container containing hazardous goods as classified under IMO.
- 1.9. "ICD" means Inland Container Depot.
- 1.10. "LCL" means Containers said to contain Less than full Container Load (Container having cargo of more than one importer/ Exporter).
- 1.11. "Over Dimensional Container" means a Container carrying over dimensional cargo beyond the normal size of standard containers and needing special devices like slings, shackles, lifting beam, etc. Damaged Containers (including boxes having corner casting problem) and Container requiring special devices for lifting is also classified as Over Dimensional Container.
- 1.12. "Per day" means per calendar day or part thereof.
- 1.13. "Reefer" means any Container for the purpose of the carriage of goods, which require power supply to maintain the desired temperature.
- 1.14. "Port" means Chennai Port Trust.

- 1.15.** “Shut Out Container” means a container, which has entered the terminal for export for a vessel as indicated by VIAN and is not connected to the vessel for whatsoever reason.
- 1.16.** “Tonne” means one metric Tonne of 1,000 kilograms or one cubic metre.
- 1.17.** “Transshipment container” means a Container discharged from one vessel, stored in CCT and transported through another vessel.
- 1.18.** “VIAN” means Vessel Identification Advise Number.
- 1.19.** “Fumigation Facility” means facilitating decontamination of cargo with are prone to be affected by pests and which requires pesticides to decontaminate by the way of fumigation or degassing or both.
- 1.20.** “Accredited Clients Programme” means a programme being introduced by the Customs Department by which importers registered by the department as “Accredited Clients” will form a separate category to which assured facilitation would be provided. Except for a small percentage of consignments selected on a random basis by the RMS, or cases where specific intelligence is available or where a specifically observed pattern of non-compliances required to be addressed, the Accredited Clients will be allowed clearance on the basis of self-assessment i.e. as a matter of course, clearance would be allowed on the basis of their declarations, and without examination of goods. Further, this benefit would be available to the registered Accredited Clients at all the ports in the country where EDI and the RMS are operational.
- Customs Department expects that this measure will bring about reduction in the dwell time of cargo and transaction costs for such importers. Custom Houses may create separately earmarked facility/counters for providing customs clearance service to the Accredited Clients. Commissioners of Customs are also required to work with the Custodians for earmarking separate storage space, handling facility and expeditious clearance procedures for these clients. Further IMG has also recommended faster delivery system by creating separate area in the port premises clearly earmarked for immediate delivery of cargo to specified accredited importers’. This programme has been defined in details in Customs Circular No. 42/2005-Cus dated 24th November 2005.
- 1.21.** “Long Haul vessels would be defined as Vessels originating/ Destined from /to any ports in continents of Americas/ Europe/ Africa or ports beyond Singapore/ Malaysia”

2 GENERAL

- 2.1.** Containers less than and upto 20’ in length will be reckoned as one TEU for the purpose of tariff.
- 2.2.** Containers other than that of standard size requiring special devices / slings / handling will be charged as per 3.5 below. Such containers will also include damaged containers and any other type requiring special devices.
- 2.3.** Container-related charges denominated in US dollar terms shall be collected in equivalent Indian rupees. For this purpose, the market buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its subsidiary or any other Public Sector Banks as may be specified from time to time prevalent on the date of entry of the vessel into the Terminal (in case of import containers) and on the date of arrival of containers in the Terminal premises (in case of export containers) shall be applied for re-conversion of the dollar-denominated charges into Indian rupees.
- 2.4.** All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of each bill.
- 2.5.** All invoices are issued as due on presentation. Failure to pay may cause a lien to be placed on the goods handled at the Terminal and the responsible party may be denied further use of the Terminal until all outstanding charges have been paid
- 2.6.** (i) The user shall pay penal interest on delayed payments of any charge under this Scale of Rates. Likewise, the CCTL shall pay penal interest on delayed refunds.
- (ii). The rate of penal interest will be 15% per annum. The penal rate chosen will apply to both the CCTL and the port-users equally.
- (iii). The delay in refunds will be counted only 20 days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (iv). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the CCTL. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trusts Act and/or where payment of charges in advance is prescribed in this Scale of Rates.
- 2.7.** (i) A foreign-going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order.
- (ii). A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a Coastal Voyage Licence issued by the Director General of Shipping.

- (iii). In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
- (iv). In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable only till the vessel completes coastal cargo discharging operations; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
- (v). For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other documents will be required to be entitled to coastal rates.
- 2.8.** An LCL Container coming in and going out of the CCT as a unit load will be regarded as an FCL for the purpose of levying charges.
- 2.9.** Users shall not be required to pay charges for delays beyond a reasonable level attributable to the CCTL.
- 2.10.** In case a vessel idles due to breakdown or non-availability of the shore based facilities of CCTL or any other reasons attributable to CCTL, rebate equivalent to berth hire charges payable to Chennai Port Trust accrued during the period of idling of vessel shall be allowed by CCTL.
- 2.11.** Concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018-Customs (NT) dated 11.05.2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance.
- (a). Coastal goods transported between an Indian Port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri. Lanka, whether or not calling any port in Sri. Lanka in between and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (NT) dated 11.05.2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (b). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel in terms No.38/2018Customs (NT) dated 11.05.2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (c). The provisions prescribed above shall be subject to adherence to the provision prescribed in the Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated 26th November, 2015 and amendment Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated 10th June, 2016.
- 2.12** The SOR approved by the Authority is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by the Authority. The next annual indexation in SOR is applicable from 01 May 2021. For the subsequent years, the annual indexed SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. The indexed SOR shall be intimated by the CCTPL to the CHPT, users and to the Authority.

3 CHARGES FOR CONTAINER OPERATIONS				
3.1.	Charges for handling FCL import and export containers and empty containers.			
3.1.1.	Handling by Quay Crane including lashing/unlashing charges.			
		Foreign-going Vessel others	Foreign-going Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		US\$	US\$	₹.
	Per FCL Container			
	- Not exceeding 20' in length	22.78	21.65	574.18
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	34.16	32.45	860.88
	- Over 40' in length	45.56	43.28	1,148.09
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	22.78	22.78	574.18
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	34.16	34.16	860.88

	- Over 40' in length	45.56	45.56	1,148.09
Services include handling by quay crane and lashing/unlashing.				
3.1.2.	Transportation from QC to Yard & Vice Versa			
		Foreign- going Vessel others	Foreigngoing Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		₹.	₹.	₹.
	Per FCL Container			
	- Not exceeding 20' in length	649.16	616.71	389.50
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	973.71	925.02	584.23
	- Over 40' in length	1,298.32	1,233.40	778.99
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	321.49	321.49	192.90
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	482.24	482.24	289.34
	- Over 40' in length	642.98	642.98	385.79
	Services include transport to and from the quayside.			
3.1.3.(a) Handling at Container Yard lift on/off on to / from the Internal Transfer Vehicle				
		Foreign- going Vessel others	Foreign- going Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		₹.	₹.	₹.
	Per FCL Container			
	- Not exceeding 20' in length	358.74	340.80	215.24
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	538.11	511.20	322.86
	- Over 40' in length	717.46	681.59	430.48
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	177.66	177.66	106.59
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	266.48	266.48	159.89
	- Over 40' in length	355.31	355.31	213.19
	Services include lifts at Container Yard for Storage.			
3.1.3.(b) Handling at Container Yard lift on/off for delivery/receipt to and from customers				
		Foreign- going Vessel others	Foreign- going Vessel Long Haul	Coastal Vessel

		₹.	₹.	₹.
	Per FCL Container			
	- Not exceeding 20' in length	358.74	340.80	358.74
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	538.11	511.20	538.11
	- Over 40' in length	717.46	681.59	717.46
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	177.66	177.66	177.66
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	266.48	266.48	266.48
	- Over 40' in length	355.31	355.31	355.31
	Services include lifts at Container Yard for landing or loading the container from or to customer's vehicle.			

3.2.	Charges for handling LCL import and export container.		
3.2.1.	Handling by Quay Crane including lashing/unlashing charges:		
		Foreign-going Vessel	Coastal Vessel
		US\$	₹.
	Per LCL Container		
	- Not exceeding 20' in length	22.78	574.18
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	34.16	860.88
	- Over 40' in length	45.56	1148.09
	Services include handling by quay crane and lashing/unlashing		
3.2.2. (a)	- Transportation of Container from QC to Container Yard and Vice Versa.		
		Foreign-going Vessel	Coastal Vessel
		₹.	₹.
	Per LCL Container		
	- Not exceeding 20' in length	649.16	389.50
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	973.71	584.23
	- Over 40' in length	1298.32	778.99
	Services include transportation of container from quay to yard and vice versa to CY.		

3.2.2. (b)	- Handling at Container Yard on/off onto/from the Internal Transfer Vehicle:		
		Foreign-going Vessel	Coastal Vessel
		₹.	₹.

	Per LCL Container		
	- Not exceeding 20' in length	358.74	215.25
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	538.11	322.87
	- Over 40' in length	717.46	430.47
	Services include lifts at container yard for storage.		

3.2.2. (c)	- Transport of Container from Yard to CFS and vice versa, loading and unloading container from / to customer's vehicle and handling at CFS		
		Foreign-going Vessel	Coastal Vessel
		₹.	₹.
	Per LCL Container		
	- Not exceeding 20' in length	1399.95	1399.95
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	2099.97	2099.97
	- Over 40' in length	2799.93	2799.93
	Note : Services include landing or loading the container from or to customer's vehicle, stowage planning on vessel and yard, data handling, processing and transfer of data between vessel, CCTL and shipping line. Delivery of empty container will be charged a lift on/ lift off separately.		
3.2.3.	Stuffing / destuffing of cargo at the CCT		
		Foreign-going Vessel	Coastal Vessel
		US\$	₹.
	Destuffing/stuffing per container		
	- Not exceeding 20' in length	30.00	754.15
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	45.00	1,131.21
	- Over 40' in length	60.00	1,507.97
Note: (I)	Services include stuffing or destuffing of LCL containers.		
(II)	For stuffing/destuffing half-a-container, 50% of the above-mentioned rates will be levied. For this purpose, part stuffing / destuffing of 50% or less than 50% of a container will be treated as half-a-container. If a container is, however to be topped up or stuffed/ destuffed more than 50%, it will be treated as a full container. For customs examination at CFS if only 25% or less than 25% of a container is destuffed/stuffed then charges will be 25% of above mentioned rates.		

3.3.	Charges for handling ICD import and export container.			
3.3.1.	Handling by Quay Crane including lashing/unlashing charges.			
		Foreign-going Vessel others	Foreigngoing Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		US\$	US\$	₹.
	Per loaded Container			
	- Not exceeding 20' in length	22.78	21.65	574.18
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	34.16	32.45	860.88
	- Over 40' in length	45.56	43.28	1,148.09
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	22.78	22.78	574.18
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	34.16	34.16	860.88
	- Over 40' in length	45.56	45.56	1,148.09
	Services include handling by quay crane and lashing/ unlashing			
3.3.2.	Transportation from QC to container Rail Yard & Vice Versa			
		Foreign-going Vessel others	Foreigngoing Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		₹.	₹.	₹.
	Per loaded Container			
	- Not exceeding 20' in length	616.73	585.89	370.03
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	925.05	878.79	555.03
	- Over 40' in length	1,233.41	1,171.74	740.05
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	305.42	305.42	183.26
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	458.10	458.1	274.86
	- Over 40' in length	610.84	610.84	366.51
	Services include transport to container rail yard, stowage planning on vessel and yard, data handling, processing and transfer between vessel, CCT and shipping line.			
3.3.3 (a)	Handling at Container Yard lift on/off on to / from the internal transfer vehicle			
		Foreign-going Vessel others	Foreign- going Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		₹.	₹.	₹.
	Per loaded Container			
	- Not exceeding 20' in length	358.73	340.8	215.24
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	538.11	511.2	322.86

	- Over 40' in length	717.46	681.59	430.48
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	177.66	177.66	106.59
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	266.48	266.48	159.89
	- Over 40' in length	355.31	355.31	213.19
	Services include lifts at Container yard for storage.			

3.3.3 (b)	Handling at Container Yard lift on/off for delivery/receipt to and from customers			
		Foreign-going Vessel	Foreigngoing Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		₹.	₹.	₹.
	Per loaded Container			
	- Not exceeding 20' in length	358.73	340.8	358.73
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	538.11	511.2	538.11
	- Over 40' in length	717.46	681.59	717.46
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	177.66	177.66	177.66
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	266.48	266.48	266.48
	- Over 40' in length	355.31	355.31	355.31
	Services include lift at Container rail yard, stowage planning on vessel and yard, data handling, processing and transfer between vessel, CCT and shipping line.			
3.4.	Charges for handling Transshipment Containers including handling by on board stevedoring labour at Quay side, lashing/unlashing charges			
		Foreign-going Vessel	Foreigngoing Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		Us \$	Us \$	₹.
	Per loaded Container			
	- Not exceeding 20' in length	27.33	27.33	775.00
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	41.00	41.00	1162.00
	- Over 40' in length	54.66	54.66	1550.00
	Per empty Container			
	- Not exceeding 20' in length	27.33	27.33	1453.94
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	41.00	41.00	2180.91
	- Over 40' in length	54.66	54.66	2907.88
	Services include handling by quay crane (discharge and loading), transport and, lifts, stowage planning on vessel and yard, data handling, processing and transfer between vessel, CCT and			

	shipping line.
Note: (I)	A transshipment container sent to CFS, ICD or taken delivery locally shall be charged the local container rate
(II)	A Shut out charge as per Section 3.10 shall apply if -
	(a) The vessel nomination is changed ; or
	(b) If the vessel nomination is changed from a later vessel to an earlier vessel after the earlier vessel is berthed.

3.5.	Charges for Hazardous Cargo Containers / Over-dimensional Cargo Containers.			
	A premium of 37.5% will be levied over the applicable handling charges prescribed above for respective categories of containers.			
3.6.	Charges for Wharfage			
		Foreign-going Vessel	Foreign-going Vessel Long Haul	Coastal Vessel
		US\$	US\$	₹.
	Per Container (box only)			
	- Not exceeding 20' in length	1.30	1.24	32.88
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	1.96	1.86	49.44
	- Over 40' in length	2.60	2.47	65.49
	Per Containerised Cargo	₹.	₹.	₹.
	- Not exceeding 20' in length	715.85	680.06	429.51
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	1,073.78	1,020.09	644.27
	- Over 40' in length	1,431.70	1,360.11	859.02
Note:				
1	The charge for containerised cargo in all cases will be in Rupee terms.			
2	The charge for containers in cases of 'foreign arrival' and 'foreign departure' will be in Dollar terms.			
3	The charges for containers in cases of 'coastal arrival' and 'coastal departure' will be in Rupee terms.			
4	Wharfage will be charged on all containers including ICDs, transshipment, LCL and FCL and empty containers.			
3.7	Charges for handling hatch covers for one operation (both opening and closing).			
		Foreign-going Vessel	Coastal Vessel	
		US\$.	₹.	
	Without landing hatch cover on quay	18.22	459.23	
	With landing hatch cover on quay	45.56	1,148.09	

<u>Note:</u>	Half the rate shall be charged if there is only one activity, i.e. either an opening or closing operation.		
3.8	Charges for shifting containers within vessel (Restows).		
		Foreign- going Vessel	Coastal Vessel
		US\$.	₹.
	Within hatch (without landing and reshipping) per container		
	- Not exceeding 20' in length	11.07	279.06
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	16.60	418.20
	- Over 40' in length	22.13	557.61
	Via Quay (shifted by landing on Quay & reshipping) per container		
	- Not exceeding 20' in length	32.54	820.10
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	48.82	1,230.15
	- Over 40' in length	65.08	1,639.94
<u>Note:</u>	No Wharfage will be levied on the restow containers and containerised cargo.		
3.9	Reefer related and other General Services		
		Foreign- going Vessel	Coastal Vessel
		US\$.	₹.
a)	Pre-trip inspection (including supply of electricity)	33.37	841
b)	Connection or disconnection Services On board a Vessel	2.22	56.07
c)	Cleaning of Container		
	- Not exceeding 20' in length	1.67	42.05
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	3.34	84.10
	- Over 40' in length	5.01	126.15
d)	Supply of electricity (including connection and disconnection, monitoring of temperature at reefer yard) Per container per 4 hours shift or part thereof		
	- Not exceeding 20' in length	3.93	99.24
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	5.91	148.85
	- Over 40' in length	7.88	198.48
Notes			
(i)	Above tariff does not include parameter setting or repair & maintenance of malfunctioning reefers. Above charges are also applicable to restow reefer containers.		
(ii)	Pre-trip inspection of the reefer containers and cleaning of containers are optional services and shall be rendered when requested. Hazardous cargo will incur premium as per clause 3.5		
3.10	Charges for a shut out container/ renomination of containers		
		Foreign- going Vessel	Coastal Vessel
		US\$.	₹.
	Per Container		
	- Not exceeding 20' in length	24.73	1,038.50
	- Exceeding 20' and upto 40' in length	37.10	1,558.39

	- Over 40' in length	49.46	2,077.43
Note:	Above charge shall apply where -		
(i)	an export container or a transshipment container or a re-export container is shut out and subsequently delivered out of CCT.		
(ii)	a container is shut out by one vessel and subsequently shipped on another vessel, in addition to the charges for handling by quay crane charges. In this case, the free storage period will be given to the Container in accordance with section 3.11 from the time the container is first received. If the free storage period is exceeded, storage charges shall be calculated after the expiry of the free period up to the time of lift on.		

3.11.	Charges for Container storage						
		Foreign-going Vessel Others/Long Haul			Coastal Vessel		
Sl. No.	Particulars	Rate per container per day or part thereof (in US \$)			Rate per container per day or part thereof (in ₹.)		
		Upto 20' in length	Above 20' and upto 40' in length	Above 40' in length	Upto 20' in length	Above 20' and upto 40' in length	Above 40' in length
1	Import-FCL, LCL & Empty						
	0- 3 days	Free	Free	Free	-	-	-
	4-15 days	5.56	11.12	16.69	-	-	-
	16-30 days	11.12	22.25	33.37	-	-	-
	Beyond 30 days	22.25	44.50	66.75	-	-	-
	0-10 days	-	-	-	Free	Free	Free
	11-15 days	-	-	-	233.61	467.22	700.83
	16-30 days	-	-	-	467.22	934.44	1401.66
	Beyond 30 days	-	-	-	934.44	1868.88	2803.32
2	Export – FCL, LCL & Empty						
	0- 7 days	Free	Free	Free	-	-	-
	8-15 days	5.56	11.12	16.69	-	-	-
	16-30 days	11.12	22.25	33.37	-	-	-
	Beyond 30 days	22.25	44.50	66.75	-	-	-
	0- 10 days	-	-	-	Free	Free	Free
	11-15 days	-	-	-	233.61	467.22	700.83
	16-30 days	-	-	-	467.22	934.44	1401.66
	Beyond 30 days	-	-	-	934.44	1868.88	2803.32
3	ICD – Import & Export – Loaded & empty						
	First 10 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	11-30 days	5.56	11.12	16.69	233.61	467.22	700.83
	31-45 days	11.12	22.25	33.37	467.22	934.44	1401.66
	Beyond 45 days	22.25	44.50	66.75	934.44	1868.88	2803.32
4	Transshipment – Loaded & empty						
	First 20 days	Free	Free	Free	Free	Free	Free
	21-45 days	5.56	11.12	16.69	233.61	467.22	700.83

[illegible]

(i). The consignee can issue a letter of abandonment at any time.	
(ii). If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the condition that,	
(a) The Line shall resume custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and	
(b) The Line shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container.	
(iii) The Container Agent/ MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and destuffing. In case of the failures to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such all necessary actions are taken by the shipping lines for destuffing the cargo.	
(iv). Where the container is seized/confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be destuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the date the Customs order release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the Lines/consignee from the port premises to the Customs bonded area and in that case the storage charge shall cease to apply from the date of such removal.	
3.12.12.	The ground slots for export containers will be reserved for 7days for weekly call of the vessel and for 5days for bi-weekly calls of vessel.

3.12.13	Miscellaneous Charges			
S. No.	Particulars	Rate per Container (in ₹)		
		Not exceeding 20' in length	Exceeding 20' in length and upto 40' in length	Exceeding 40' in length
(i).	Fixing/removal of seal	222.49	222.49	222.49
(ii).	Lift on/lift off in the CY	715.85	1,073.78	1,431.70
(iii).	Charges for shifting within the Terminal	976.16	1,464.24	1,952.31
(iv).	Change in POD	976.16	1,464.24	1,952.31
(v).	Additional movement – Terminal to Rail or Rail to Terminal / Charges for extra movement/ transportation	976.16	1,464.24	1,952.31
(vi).	Change of status of Container from Rail to Road or vice-versa	976.16	1,464.24	1,952.31
(vii).	Charges for export containers arriving in the terminal after the gate cut-off time for the particular VIAN	976.16	1,464.24	1,952.31
(viii).	Fixing/removal of Hazardous Sticker (per containers)	111.24	111.24	111.24
(ix).	One Door Open Charges per container	667.46	667.46	667.46
(x).	Cancellation of documents - per EIR/ Documentation charges /Damage report /weightment	111.24	111.24	111.24
(xi).	Non- declaration / Miss declaration of Hazardous and Over Dimensional containers	3,337.29	3,337.29	3,337.29
(xii).	On- Wheel Customs inspection (per container)	444.97	444.97	444.97
(xiii).	Fumigation Charges	2,224.86	2,224.86	2,224.86
(xiv).	Forklift charges for movement of Lashing Bins within the Terminal (per Lashing Bin)	111.24	111.24	111.24
(xv).	Provision of slings	450.00	450.00	450.00
(xvi).	Cleaning of containers	450.00	450.00	450.00
(xvii).	Mandatory User Charge (MUC)	165.00	165.00	165.00
Notes				
(i).	Cancellation charges applies when EIR is cancelled at the request of customers			
(ii).	"One Door Open" charge is applicable for handling container which requires only one door to be kept open (e.g. Onion) and when door opening and securing is carried in the terminal.			
(iii).	"Fixing of Seal ". Bottle seals shall be fixed on every container arriving at the terminal - by rail /road/sea without a proper bottle seal on it, prior to allowing its entry. This shall be done without the written consent of the shipping line. The list of such containers on which a seal is affixed by the terminal shall be intimated to the lines.			
(iv).	"Fixing/ removal of Hazardous Sticker". Hazardous stickers indicating IMCO class only shall be affixed on a container carrying hazardous cargo. Similarly, old stickers on the container shall be removed from a container carrying nonhazardous cargo. In either case, the customer has to intimate in writing to CCT to undertake the said activity, within			

	the terminal.		
(v).	On- Wheel Customs inspection. The on-wheel inspection of a container shall be allowed at the nominated point only, on the written request of the customer. The container doors can be opened only under customs supervision. No stuffing/ destuffing, even partially, shall be permitted within the terminal premises.		
(vi).	Additional movement - from terminal to rails siding or rail siding to terminal will be applicable for ICD container moved by CCT. Movement to another terminal within port will be chargeable at 2 times additional movement charges		
(vii).	Non- Declaration / Mis-declaration of Hazardous container. The Customer has to declare the hazardous nature of the cargo as per the IMCO rules and furnish the relevant hazardous details to CCT. The above charges are only for nondeclaration/mis-declaration of the hazardous nature of the container.		
	The liabilities and cost towards the consequences arising due to non-declaration or mis declaration shall, however, be on the customers account.		
(viii).	"Container Weightment Charges" will be charged were the terminal is required to weigh the container due to any statutory regulations / due to wrong declaration of weight by the customers. This is also be levied whenever the customer requested to do this service.		
(ix)	Container turning activity without grounding of container will be charged at half rate of lift on / lift off at CY		
(X)	Containers which cannot be safely handled by use of regular equipment will be handled by using Slings, at the request of the customer.		
(Xi)	Empty containers will be cleaned on the request of the customer		
3.13.	Charges for supply of Fresh Water to shipping alongside the container berths.		
		Foreign-going	Coastal
		US\$.	₹.
	Per 1000 Liters or part thereof	7.55	317.29
3.14.	Charges for clearance of Garbage on-board		
		₹.	
	Per 1/2 cubic meter bag	260.21	
4	<u>CHARGES LEVIABLE AT THE CFS</u>		
4.1.	Storage charges		
	Period	Rate per ton or part thereof per day or part thereof	
		(₹.)	
	First 3 days	Free	
	4 - 10 days	35.00	
	11 days- 20 days	70.00	
	21 days - 30 days	82.50	
	Thereafter	110.00	
Note:	For purposes of calculation of free time, Sundays, Customs notified Holidays, and the Terminal's non-operating days shall be excluded.		
4.2.	Charges for landing from/ Loading to vehicle ₹.75 per ton or part thereof.		
4.3	Forklift charges at the request of customer ₹.250 per Metric Ton		
4.4	Packing/ unpacking charges at the request of the customer ₹.80 per package		
4.5	Admittance and labeling charges for receiving of cargo for stuffing ₹.28 per Metric Ton		
4.6	Documentation charges per consignment ₹.250		
4.7	Palletization / Depalletization Per pallet ₹.150		